प्रेसनोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.02.2026

❖ **थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रूरा पर दिनांक 10.02.2026 को वादिनी द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 07.02.2026 को विपक्षी अंशू पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम मुर्रा मवई थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात मेरी नातिन उम्र करीब 16 वर्ष को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर कही ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 049/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अंशू पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम मुर्रा मवई थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता/ अपहृता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त अंशू कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम मुर्रा मवई थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को दिनांक 20.02.2026 को भिखनापुर तिराहे थाना क्षेत्र रूरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

1. अंशू पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मुर्रा मवई थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुधीर भारद्वाज
2. उ0नि0 श्री रामाशंकर पाल
3. हे0का0 519 अशोक यादव